कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक/ 1642 /भू.अ.लि/2017 रायगढ़ दिनांक 23/ 12 /2017

प्रति,

अपर प्रधान
मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमि (छोटे–बड़े झाड़ का जंगल) का अनापत्ति प्रमाण–पत्र बाबत् ।

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ़ का पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/5981/धरमजयगढ़ दिनांक 27.10.2017

––––00––––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ़ द्वारा मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड जांजगीर चांपा के प्रकरण में व्यपवर्तित होने वाली 5.000 हे. वन भूमि के एवज में जिला रायगढ़ अंतर्गत ग्राम उदउदा प.ह.नं. 34 तहसील धरमजयगढ़ स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1123/1 कुल रकबा 15.560 हे. में से 10.000 हे. राजस्व वन भूमि को राजस्व विभाग एवं आवेदक संस्था के प्रतिनिधियों के साथ मौका निरीक्षण कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र के राजस्व वनभूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ से जांच प्रतिवेदन मंगाई गई ।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम उदउदा प.ह.नं. 34 तहसील धरमजयगढ़ स्थित भूमि खसरा नं. 1123/1 कुल रकबा 15.560 हे. में से 10.000 हे. राजस्व वनभूमि का मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड जांजगीर चांपा के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 1642A /भू.अ.लि/2017 रायगढ़ दिनांक 23/ 12 /2017

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,छ.ग. शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड जांजगीर चांपा को सूचनार्थ ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner